श्रीमती अनोपीदेवी पत्नी जीवणराम भील निवासी मौखेरी, तहसील फलोदी बनाम यशपाल आहूजा, सहायक कलक्टर फलोदी व अन्य 5

किस्म मुकदमा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर 140 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री रोशनलाल एवं अप्रार्थीपक्ष 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई उपस्थित। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि प्रार्थीपक्ष द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी न्यायालय जिला जोधपुर के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 64/2011 खिवणीदेवी बनाम अनोपीदेवी वगैरा को सुनवाई के लिए अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित करने बाबत् पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी ली गई। अप्रार्थीपक्ष–5 व 6 के नोटिस बाद तामील या अदम तामील नहीं लौटे तथा पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की इस्तदुआ पर दिनांक 06.01.21 को बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा प्रार्थीया व अन्य के विरूद्ध सहायक कलक्टर फलोदी न्यायालय में एक राजस्व वाद (64/2011) अन्तर्गत धारा 88, 92, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दायर किया गया तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के पश्चात् बहस हेतु विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर करने के पश्चात् वादीगण/अप्रार्थीगण 2 ता 4 बार बार बरोक –टोक आते जाते है तथा प्रार्थीनी को धमकिया दी जा रही है कि उन्होने एस.डी.ओ. साहब से बात कर ली है तथा हमारा वाद अब स्वीकार कर लिया जायेगा। बहस में यह आगे कहा कि कुछ तथ्य ऐसे है जो अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते है एवं कह नहीं सकते। अधीनस्थ न्यायालय से सुनवाई के लिए समय चाहते है तो एक एक दिन की पेशी दी जाती है, दौरान बहस हर दिन पेशी देने बाबत् दस्तावेज साक्ष्य मांगे गये तो पेश लगातार...	

बेटी बचाओ बेटी पढाओं।

करने को कहा, परन्तु पेश नहीं किये गये। बहस के अन्त में कहा कि प्रार्थीनी को सहायक कलक्टर फलोदी न्यायालय से अब किसी भी प्रकार से न्याय मिलने की सभांवना नहीं है तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में सुनवाई के लिए अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होना बतलाया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष 2 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस बतलाया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद वर्ष 2011 से विचाराधीन है। प्रार्थीपक्ष/प्रतिवादी जानबूझकर मामले को लम्बित करना चाहते है तथा दिनांक 04.11.2020 से पत्रावली अंतिम बहस पर चल रही है। प्रार्थीपक्ष का कथन है कि अप्रार्थीयगण 2 त 4 बार बार पीठासीन अधिकारी से न्यायालय में जाकर मिलते है यदि यह सत्य है तो अधीनस्थ न्यायालय में सीसीटीवी लगे हुए है वहां से जांच की जा सकती है। मामला पुराना है तथा जान बूझकर मामला को निपटाना नहीं चाहते है अतः प्रार्थना पत्र में जो भी आरोप लगाये गये वो झूठे व बेबुनियाद होने से निरस्त योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रश्नगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2011 से विचाराधीन है तथा वर्तमान में अंतिम बहस स्टेज पर विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि अंतिम बहस हेतु पत्रावली दिनांक 04.11.2020 रखी गई इसके पश्चात् दिनांक 18.11.2020, 09.12.20, 10.12.20 को मुकर्र की गई। दिनांक 10.12.20 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_{17} R_{01} सी.पी.सी. का पेश करते हुए बहस हेतु 15 दिवस का समय चाहा, जिस पर 11.12.20, 14.12.20 को पेशी मुकर्र की गई। वादीगण कभी भी कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हुए न ही प्रार्थीया अनोपी कार्यालय में आई। प्रार्थीया ने गलत आरोप लगाये गये। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि एकपक्षीय बहस न तो सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने दिनांक 09.12.20 को लिखित बहस पेश की तथा प्रतिवादीपक्ष के अधिवक्ता के निवेदन पर बहस हेतु

लगातार...

07.01.21	दिनांक 10.12.20 को पेशी दी गई। रिपोर्ट के अन्त में पत्रावली किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने पर कोई आपत्ति नहीं होना कहा। प्रकरण काफी पुराना है तथा प्रकरण अंतिम बहस पर विचाराधीन है तथा वादीपक्ष की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हो चुकी है। प्रतिवादीपक्ष की बहस सुनी जानी है। प्रार्थीपक्ष के इन आरोपों की पुष्टि नहीं होती है कि सहायक कलक्टर फलोदी के व्यवहार से प्रार्थीनी को न्याय मिलने की संभावना नही रहीं है, परिणामस्वरूप प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र के तथ्य सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त किया जाता है। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की विधिसम्मतः सुनवाई कर निस्तारण करे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।